रजि० सं० डी० (डी०)-73

REGISTERED No. D. (D.)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 7] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 12, 1977/माघ 23, 1898

No. 7] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 12, 1977/MAGHA 23, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 1977

सा०का०नि० 186.—लोक सभा सचिवालय (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 1955 के नियम 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अध्यक्ष एतद् द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. नाम और प्रवर्तन.—(1) ये नियम "लोक सभा सचिवालय की अनुग्रह निधि का विनियमन करने वाले नियम" कहलायेंगे ।

(2) ये नियम 3 जनवरी, 1977 से लागू होंगे ।

2. स्थापना.—लोक सभा सचिवालय की अनुग्रह निधि वार्षिक अनुदान द्वारा स्थापित तथा पोषित की जायेगी जिसके लिये प्रति वर्ष बजट में व्यवस्था की जायेगी । इस निधि का प्रबन्ध एक समिति द्वारा किया जायेगा जिसमें एडिशनल सक्रेटरी (ए), एडीशनल सक्रेटरी (बी) तथा डायरेक्टर आफ लाइब्रेरी, रेफेंस, रिसर्च डाक्युमेंटेशन एंड इंफारमेशन सर्विस होंगे तथा इसके लिये महा सचिव की पूर्व अनुमति और स्वीकृति लेनी होगी । सीनियर पर्सोनल एंड एग्जीक्यूटिव आफिसर (एस्टेबलिशमेंट)/वेल्फेयर आफिसर समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे ।

3. पात्रता.—इस निधि का उद्देश्य लोक संभा सचिवालय के सेवा के दौरान मरने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के परिवारों को सहायता देना है ।

4. आवेदन-पत्र.—ऐसे किसी आवेदन-पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा जो अधिकारी की मृत्यु की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर नहीं दिया जायेगा, जब तक कि विलंब के लिये पर्याप्त स्पष्टीकरण न दिया गया हो । यह अपेक्षा की जाती है कि अधिकारी की मृत्यु के बाद ऐसा आवेदन-पत्र शीघ्र दिया जाना चाहिये ।

5. सहायता अनुदान की राशि मंजूर किये जाने संबंधी शर्तें.—(एक) निधि से सहायता अनुदान की राशि केवल उन्हीं मामलों में दी जायेगी, जहां परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यंत शोचनीय होगी ।

(दो) दिवंगत अधिकारी का सरकारी कर्मचारी के रूप में सेवा रिकार्ड उल्लेखनीय होना चाहिये । जिसकी सेवा जितनी अधिक उल्लेखनीय होगी उसका दावा उतना ही अधिक पुष्ट होना चाहिये ।

(तीन) कर्तव्य-परायणता की विशेष भावना से हुये निधन का मामला ऐसे दावे का पुष्ट आधार माना जायेगा ।

(चार) साधारणतः ऐसे अधिकारियों के मामलों में प्राथमिकता दी जायेगी जिन्होंने अधिक वर्षों तक सेवा की होगी ।

(पांच) अन्य बातों के समान होने पर, उन अधिकारियों के मामलों में प्राथमिकता दी जायेगी, जिनका वेतनमान अपेक्षाकृत कम होगा ।

Attested

Whether age and Educational qualification sprescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If DPC exist what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable.	2 years.	By Direct recruitment, failing which by transfer on deputation.	Transfer on deputation.—Officers under the Central Government or State Governments or Union Territories holding analogous posts or with 3 years service inposts in the scale of Rs.550-900 or equivalent and possessing the qualifications prescribed for direct recruits in column 7. (Period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years).	Not applicable	Consultation with the Union Public Service Commission will be necessary while making direct recruitment and appointing an officer of a State Government or Union Territory.

[No. A-12033/1/73-UDIIIB]
K. K. SAXENA, Desk Officer.

राजस्व और बैंकिंग विभाग

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 1977

सीमा-शुल्क

सा०का०नि०203.—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना संख्या 199–सीमाशुल्क (सा०का०नि०सं० 568 (असा०) तारीख 2 अगस्त, 1976 को विखण्डित करती है।

[सं० 19/फा० सं० 552/263/अ/76–भू०सी०शु०–1]
एन० कृष्णमूर्ति, अवर सचिव

DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

New Delhi, the 12th February, 1977

CUSTOMS

G.S.R. 203.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India, in the Department of Revenue and Banking No. 199-Customs [G.S.R. No. 568(E)], dated the 2nd August, 1976.

[No. 19/F. No. 552/263/76-L.C.I.]
N. KRISHNAMURTHY, Under Secy.

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1977

सा.का.नि. 204.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 1 की उपधारा (3) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित स्थापनों को जिनमें बीस या अधिक व्यक्ति नियोजित हों, ऐसे स्थापनों के वर्गों के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिन्हें उक्त अधिनियम 1977 की 28 फरवरी से लागू होगा।

अनुसूची

1. ऐसे स्थापन जो सरेस और गेलन्टीन के विनिर्माण में लगे कारखाने हैं।

2. स्टोन चिप, स्टोन सेट, स्टोन बोल्डर और रोड़ी पत्थर निकालने वाली पत्थर खदानें।

3. मछली प्रसंस्करण और मांसयुक्त खाद्य परीक्षण उद्योग, जिसमें सूकर-मांस कारखाने और सूकर मांस प्रसंस्करण संयंत्रों में लगे हुए स्थापन भी सम्मिलित हैं।

[सं. एस. 35011(59)/73-पी. एफ-2(1)]
एस. एस. सहस्रनामन, उप सचिव

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 31st January, 1977

G.S.R. 204.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 1 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby specifies the establishments mentioned in the Schedule hereto annexed and employing twenty or more persons as classes of establishments to which the said Act shall with effect from the 28th January, 1977.

SCHEDULE

1. Establishments which are factories engaged in the manufacture of glue and gelatine.

2. Stone quarries producing stone chips, stone sets, stone boulders and ballasts.

3. Establishments engaged in fish processing and non-vegetable food preservation industry including bacon factories and pork processing plants.

[No. S. 35011(59)/73-PF. II (i)]
S. S. SAHSRANAMAN, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110006, 1977

Attested
विशेष अधिकारी
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग,
सिविल लाईन्स, दिल्ली-54